The Court of A.D.J.-IV, Katihar

ST- 561/2013

28-11-2019- कुल छः अभियुक्तों में से दो की हाजरी दी गई। तथा चार की ओर से धारा–317 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रतिनिधित्व आवेदन दिया गया। जिसे आज के लिए स्वीकृत किया गया। वाद पुकारा गया।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए।

अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 30.07.2019 को दाखिल आवेदन और दिनांक 09.08.2019 को बचाव पक्ष की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर पर उभय पक्षों को सुना।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आवेदन के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रस्तुत मामले में चार जख्मी व्यक्ति (रवि कुमार सिंह, अरविन्द शर्मा, राजू शर्मा, तथा धर्मचन्द्र शर्मा) घटना के कम में जख्मी हुए थे। किन्तु आरोप–पत्र में साक्षी के रुप में उनका नाम नहीं है। साथ ही साथ डा0 ब्रजेश नन्दन सिंह, का भी नाम साक्षी के रुप में आरोप–पत्र में अनुसंधानकर्ता के द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। जबकि वाद के उचित न्याय–निर्णयन हेतु उक्त साक्षियों का साक्ष्य कराया जाना अति आवश्यक है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाय।

बचाव पक्ष की ओर से अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्यों कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियोजन के आवेदन के तथ्य का समर्थन अपने साक्ष्य के कम में नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के आवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों के साक्ष्य कराये जाने के संबंध में आवेदन दिया गया है उन साक्षियों का साक्ष्य लिया जाना वाद के उचित निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि वे घटना के दौरान जख्मी हुए थे। अतः उक्त के आलोक में अभियोजन पक्ष का दिनांक 30.07.2019 को दाखिल आवेदन स्वीकार किया जाता है।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, चतुर्थ
कटिहार

webcopy civil court katihar

वाद में

28-11-2019- अभियोजन पक्ष की ओर से एक साक्षी राजू शर्मा की हाजरी दी गई जो मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण पूर्ण होने पर मुक्त किया जाय।

अभिलेख वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 07.12.19 को प्रस्तुत हो।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, चतुर्थ
कटिहार

web copy civil court katihar